



नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

NARMADA CONTROL AUTHORITY

(Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Govt. of India)



संख्या : भवन -102(11)/2017-18/670-680

दिनांक 14/12/2018

परिपत्र

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के आवासीय भवनों को न.नि.प्रा. के स्टाफ में आवंटन मापदण्ड निर्धारित करने के संबंध में भवन समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् न.नि.प्रा. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 26-32 दिनांक 19/01/2009 में 7 वें वेतनमान अनुसार संशोधन करते हुए विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों की आवंटन नीति एवं पात्रता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

भारत सरकार के विभिन्न टाईप के भवनों का वर्गीकरण	ननिप्रा के विभिन्न टाईप के भवनों का वर्गीकरण	विद्यमान श्रेणी में मूल वेतन/ग्रेड पे	7वें वेतनमानों आयोग संशोधित वेतन मैट्रिक्स के लेवल अनुसार
I	आई टाईप	रु. 1300, रु.1400, रु.1600, रु.1650, रु. 1800	L-1
II	एच टाईप	रु. 1900, रु.2000, रु.2400, रु. 2800	L-2, L-3 L-4, L-5
III	जी टाईप	रु. 4200, रु. 4600	L-6, L-7
IV	एफ टाईप	रु.4800, रु. 5400,	L-8, L-9, L-10
IV(S). VA (D II)	ई टाईप	रु. 6600, रु. 7600,	L-11 L-12
VI A (C II)	डी टाईप	रु. 8700, रु. 8900	L-13, L-13 A
VI B (C I)	सी टाईप	रु.10,000, रु. 67000 से रु. 74999	L-14, L-15

सभी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर के कर्मचारियों/अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018-19 में नर्मदा कॉलोनी के आवासीय भवनों में डी-टाईप, ई-टाईप, एफ-टाईप, जी टाईप एवं एच-टाईप के भवन रिक्त हैं। इस हेतु इच्छुक अधिकारी एवं कर्मचारी भवन आवंटन आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने पूर्व में उक्त हेतु आवेदन भवन संभाग में जमा किये उन्हें भी इस परिपत्र अनुसार आवेदन पुनः नया आवेदन भवन संभाग में देना होगा पुर्व में दिये गये आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे। इसमें वे भी अधिकारी/कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं, जो एक श्रेणी ऊपर के अन्तर्गत भवनों का आवंटन चाहते हैं। अपने निजी आवास में निवासरत् अधिकारी/कर्मचारी, जो मकान किराया भत्ता लेने के इच्छुक हैं उन्हें भी मकान किराया भत्ता हेतु आवेदन करना अनिवार्य है जो भी अधिकारी/कर्मचारियों जो स्वयं के घर निवासरत् है तथा मकान किराया भत्ता हेतु आवेदन नहीं करते हैं उस स्थिति में यदि नर्मदा कॉलोनी भवन रिक्त है तो उन अधिकारी/कर्मचारियों का भवन किराया भत्ता काटने की अनुशंसा भवन खण्ड स्वयं करेगा। पुर्व में किये गये भवन आवंटन में कोई रद्दोबदल नहीं भवन आवंटन/मकान किराया भत्ता हेतु आवेदन फार्म भवन खण्ड से प्राप्त किये जा सकते हैं एवं दिनांक 31/12/2018 तक सहायक निदेशक (भवन), के पास जमा किये जा सकते हैं।

M. J. J.
14/12/18
सहायक निदेशक (भवन)
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

क्षेत्रीय कार्यालय : नर्मदा सदन, ब्लॉक 'बी'
स्क्रीम नं. 74, विजय नगर, इन्दौर-452010
दूरभाष : मुख्य अभियंता-0731-2554477
निदेशक (सिविल)-0731-2575751
उप निदेशक (जल मौसम)-0731-4288781
ई.पी.बी.एक्स.-2575748 फेक्स(0731)2553469



जल बचत - जल संभय

स्वच्छ सुरक्षित जल - सुन्दर खुशहाल कल

CONSERVE WATER - SAVE LIFE

REGIONAL OFFICE : Narmada Sadan, Block 'B'
Sch. No. 74, Vijay Nagar, INDORE - 452 010
Tel. : CHIEF ENGINEER - (0731) 2554477
DIRECTOR (CIVIL) - 0731-2575751
DEPUTY DIRECTOR (HYDROMET)-0731-4288781
EPBX - 2575748, Fax - (0731) 2553469
E-mail - cero.nca@gov.in